क्रम-संख्या–66

रजिस्टर्ड नं० एल० डब्ल्यू०/एन०पी० 561
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, बुधवार, 05 मार्च, 2026 ई0

(फाल्गुन 14, 1947 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या-2764/दस-लाइसेंस-57/बोतल भराई नियमावली/2025-2026

प्रयागराज, दिनांक 05 मार्च, 2026 ई0

अधिसूचना

सा0प0नि0-13

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली, 1969 को **संशोधित** करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की (सत्ताईसवॉ संशोधन) नियमावली, 2026

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा के बोतलों में भरने की (सत्ताईसवॉ संशोधन) नियमावली, 2026 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक **01 अप्रैल**, **2025** से प्रवृत्त समझी जायेगी।

2. नियम-2 का संशोधन– उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली1969 , **में, जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है, में नीचे स्तंभ-एक में दिये गये नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (क) के उप-खंड (चार) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया उप-खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्** :–

स्तम्भ-एक विद्यमान **उप-खण्ड**	**स्तम्भ-दो** एतद्द्वारा प्रतिस्थापित **उप-खण्ड**
(चार) पी0डी0 33 लाइसेंस धारण करने वाली ऐसी कम्पनी या इकाई, जिसका न्यूनतम रू0 52 करोड़ का निवेश तथा न्यनूतम 40 के0एल0 प्रतिदिन की क्षमता हो, को रूपया 25 लाख की बैंक प्रत्याभूति सहित शपथ.पत्र द्वारा यह आश्वासन तथा प्रतिबद्धता प्रदान करने पर कि उसे स्प्रिट की बोतल भराई हेतु एफ0एल0.3 लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के दिनांक से दो वर्ष के भीतर रु0 25 प्रति किलोलीटर स्वीकृत क्षमता के आधार पर जमा करके पेय आसवनी अधिष्ठापित करना होगा। पेय आसवनी स्थापित करने के लिये, यदि कोई इकाई विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पेय आसवनी स्थापित करने में विफल रहती है तो पूर्वोक्त बैंक प्रत्याभूति, आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और बोतल भराई लाइसेंस, आसवनी प्रवर्तित किये जाने तक निलम्बित अवस्था में रहेगा।	(चार) पी0डी0 33 लाइसेंस धारण करने वाली ऐसी कम्पनी या इकाई, जिसका न्यूनतम रू0 52 करोड़ का निवेश तथा न्यनूतम 40 के0एल0 प्रतिदिन की क्षमता हो, को रूपया 25 लाख की बैंक प्रत्याभूति सहित शपथ.पत्र द्वारा यह आश्वासन तथा प्रतिबद्धता प्रदान करने पर कि उसे स्प्रिट की बोतल भराई हेतु एफ0एल0.3 लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के दिनांक से दो वर्ष के भीतर रु0 **35/-** प्रति किलोलीटर स्वीकृत क्षमता के आधार पर जमा करके पेय आसवनी अधिष्ठापित करना होगा। पेय आसवनी स्थापित करने के लिये, यदि कोई इकाई विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पेय आसवनी स्थापित करने में विफल रहती है तो पूर्वोक्त बैंक प्रत्याभूति, आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और बोतल भराई लाइसेंस, आसवनी प्रवर्तित किये जाने तक निलम्बित अवस्था में रहेगा।

3. नियम-3 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-**एक** में**,** दिए गए विद्यमान नियम-3 के खण्ड (दो) के स्थान पर**,** स्तम्भ-**दो** में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा**,** अर्थात् :**–**

स्तम्भ-एक विद्यमान **उप-खण्ड**	**स्तम्भ-दो** एतदद्वारा प्रतिस्थापित **उप-खण्ड**
(2) यदि जॉच के पश्चात् आबकारी आयुक्त**,** उत्तर प्रदेश का यह समाधन हो जाय कि आवेदक अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करने योग्य है तथा जिस भू-गृहादि में वह बोतलों में भराई कार्य करना चाहता वह उपयुक्त है तो वह ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस दे सकते हैं। प्रत्येक ऐसा लाइसेंसधारी 1,00,000 (एक लाख) रुपये की सावधि जमा रसीद हो आबकारी आयुक्त के पद नाम से प्रतिश्रुत हो**,** प्रतिभूति के रुप में लाइसेंस लेने के पूर्व जमा करेगा। लाइसेंसधारी को उन पर मिलने वाला ब्याज जब वह देय हो जाय**,** लेनेकी अनुज्ञा दी जायेगी।	**(दो)** यदि जॉच के पश्चात् आबकारी आयुक्त**,** उत्तर प्रदेश का यह समाधान हो जाय कि आवेदक अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करने योग्य है तथा जिस भू-गृहादि में वह बोतलों में भराई कार्य करना **चाहता है,** वह उपयुक्त है तो वह ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस दे सकते हैं। प्रत्येक ऐसा लाइसेंसधारी **यथा प्रतिभूति** 1,00,000 (एक लाख) रुपये **सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.) अथवा टी.डी.आर. अथवा ई-बैंक गारंटी के रूप में** आबकारी आयुक्त के नाम से लाइसेंस लेने के पूर्व जमा करेगा। लाइसेंसधारी को उन पर मिलने वाला ब्याज जब वह देय हो जाय**,** लेनेकी अनुज्ञा दी जायेगी।

4. नियम-4 का संशोधन--उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-**एक** में दिये गये विद्यमान नियम-**4** के स्थान पर स्तम्भ-**दो** में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्ः-

<table>
<tr><th>स्तम्भ-एक
विद्यमान नियम</th><th>स्तम्भ-दो
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम</th></tr>
<tr>
<td>4- बोतल भरने के लाइसेंस का नवीकरण करने के लिए आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को लाइसेंस समाप्त होने वाले वर्ष के 28 फरवरी को या उसके पूर्व प्रपत्र वि0म0 ख-1 में दिया जायेगा। जब तक फीस या उसका कोई भाग बकाया न हो, या कोई अन्य पर्याप्त कारण न हो, आबकारी आयुक्त द्वारा प्रपत्र वि0म0 3 व वि0म0 3क में बोतल भरने के लाइसेंस का दो वर्ष के लिए नवीकरण किया जा सकता है, किन्तु लाइसेंस , केवल सम्बन्धित पी0डी0-2 लाइसेंस पी0डी0-2 विधिमान्यता की अवधि तक ही विधिमान्य होगा।

एफ0एल0-3 लाइसेंस के नवीकरण के लिए फीस निम्नानुसार व संदेय होगी-
<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>अनुमानित वार्षिक बाटलिंग फीस (रुपये में)</th><th>एफ0एल0-3 लाइसेंस की निर्धारित वार्षिक नवीकरण फीस (रुपये में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>10000000 तक</td><td>2 लाख</td></tr>
<tr><td>2</td><td>10000000 से अधिक 20000000 तक</td><td>4 लाख</td></tr>
<tr><td>3</td><td>20000000 से अधिक 30000000 तक</td><td>6 लाख</td></tr>
<tr><td>4</td><td>30000000 से अधिक 40000000 तक</td><td>8 लाख</td></tr>
<tr><td>5</td><td>40000000 से अधिक</td><td>10 लाख</td></tr>
</table>
</td>
<td>4- बोतल भरने के लाइसेंस का नवीकरण करने के लिए आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को लाइसेंस समाप्त होने वाले वर्ष के 28 फरवरी को या उसके पूर्व प्रपत्र वि0म0 ख-1 में दिया जायेगा। जब तक फीस या उसका कोई भाग बकाया न हो, या कोई अन्य पर्याप्त कारण न हो, आबकारी आयुक्त द्वारा प्रपत्र वि0म0 3 व वि0म0 3क में बोतल भरने के लाइसेंस का दो वर्ष के लिए नवीकरण किया जा सकता है, किन्तु लाइसेंस , केवल सम्बन्धित पी.डी.-2 लाइसेंस/पी.डी.-33 लाइसेंस की विधिमान्यता की अवधि तक ही विधिमान्य होगा।

एफ0एल0-3 लाइसेंस के नवीकरण के लिए फीस निम्नानुसार संदेय होगी-
<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>अनुमानित वार्षिक बाटलिंग फीस (रुपये में)</th><th>एफ0एल0-3 इसेंस की निर्धारित वार्षिक नवीकरण फीस (रुपये में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>10000000 तक</td><td>2 लाख</td></tr>
<tr><td>2</td><td>10000000 से अधिक 20000000 तक</td><td>4 लाख</td></tr>
<tr><td>3</td><td>20000000 से अधिक 30000000 तक</td><td>6 लाख</td></tr>
<tr><td>4</td><td>30000000 से अधिक 40000000 तक</td><td>8 लाख</td></tr>
<tr><td>5</td><td>40000000 से अधिक</td><td>10 लाख</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	**स्तम्भ-दो** एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
एफ.एल.-3क लाइसेंस के नवीकरण के लिए फीस निम्नानुसार व संदेय होगी-	एफ.एल.-3क लाइसेंस के नवीकरण के लिए फीस निम्नानुसार संदेय होगी-

स्तम्भ-एक:

क्रम संख्या	अनुमानित वार्षिक बाटलिंग फीस **(**रुपये में**)**	एफ0एल0 -3क लाइसेंस की निर्धारित वार्षिक नवीकरण फीस **(**रुपये में**)**
1	10000000 तक	**4** लाख
2	10000000 से अधिक 20000000 तक	**8** लाख
3	20000000 से अधिक 30000000 तक	**12** लाख
4	30000000 से अधिक 40000000 तक	**16** लाख
5	40000000 से अधिक	**30** लाख

परन्तु यह कि एफ0एल0-3क की फ्रैंचाइजी फीस विदेशी मदिरा के मामलों में रु. 4.00 प्रति बल्क लीटर तथा बीयर के मामलों में रु. 1.00 प्रति लीटर संदेय होगी। अनुमानित वार्षिक बाटलिंग फीस की गणना माह जनवरी के अन्त तक प्राप्त बाटलिंग फीस के आधार पर की जायेगी।

स्तम्भ-दो:

क्रम संख्या	अनुमानित वार्षिक बाटलिंग फीस **(**रुपये में**)**	एफ0एल0 -3क लाइसेंस की निर्धारित वार्षिक नवीकरण फीस **(**रुपये में**)**
1	10000000 तक	**4** लाख
2	10000000 से अधिक 20000000 तक	**8** लाख
3	20000000 से अधिक 30000000 तक	**12** लाख
4	30000000 से अधिक 40000000 तक	**16** लाख
5	40000000 से अधिक	**30** लाख

परन्तु यह कि **एफएल**-3 क **लाइसेंस के अधीन भरी गई विदेशी मदिरा या बीयर पर निम्नलिखित दरों पर फ्रैंचाइजी फीस उदगृहीत की जाएगी-**

क्र. सं.	बोतलों/ कैनों में भरी जाने वाली मदिरा का प्रकार	उपभोग का प्रकार	वर्ष -2024 में 25 एफ.एल.-3(क) हेतु फ्रैंचाइसी फीस की दर	वर्ष -2025 में 26 एफ.एल.-3(क) हेतु फ्रैंचाइसी फीस की दर
1	बीयर	राज्य के भीतर उपभोग हेतु	₹ 1.00 प्रति ब.ली.	₹ 0.80 प्रति ब.ली.

स्तम्भ-एक

विद्यमान नियम

नवीकरण एवं फ्रेन्चाइजी फीस की यह धनराशि बाटलिंग फीस के सापेक्ष समायोजित नही की जायेगी। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त वास्तविक बाटलिंग फीस के कारण नवीकरण फीस की श्रेणी बढती है तो बढी हुयी श्रेणी के अनुरुप नवीकरण फीस सम्बन्धित वर्ष के लिए संदेय होगी तथा अन्तर की धनराशि संबंधित वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह की अंतिम तिथि से पूर्व राजकोष में जमा करनी होगी।

उक्त के अतिरिक्त, बाटलिंग फीस तथा स्पेशल फीस की अग्रिम वसूली पृथक से सुसंगत नियमों के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

स्तम्भ-दो

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

2	बीयर	राज्य के बाहर निर्यात हेतु	₹ 1.00 प्रति ब.ली.	₹ 0.50 प्रति ब.ली.
3	विदेशी मदिरा (प्रीमियम एवं उच्च श्रेणी)	राज्य के भीतर उपभोग हेतु	₹ 4.00 प्रति ब.ली.	₹ 4.00 प्रति ब.ली.
4	विदेशी मदिरा (ईकोनामी, मीडियम एवं रेगुलर श्रेणी)	राज्य के भीतर उपभोग हेतु	₹ 4.00 प्रति ब.ली.	₹ 3.00 प्रति ब.ली.
5	विदेशी मदिरा	राज्य के बाहर निर्यात हेतु	₹ 4.00 प्रति ब.ली.	₹ 2.00 प्रति ब.ली.

नवीकरण **फीस** एवं फ्रेन्चाइजी फीस की धनराशि बाटलिंग फीस के सापेक्ष समायोजित नही की जायेगी। यदि वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त वास्तविक बाटलिंग फीस के कारण नवीकरण फीस की श्रेणी बढती है तो बढी हुयी श्रेणी के अनुरुप नवीकरण फीस सम्बन्धित वर्ष के लिए संदेय होगी तथा अन्तर की धनराशि संबंधित वित्तीय वर्ष के अप्रैल **माह के** अंतिम **दिनांक** से पूर्व राजकोष में जमा करनी होगी।

पूर्वोक्त के अतिरिक्त, बाटलिंग फीस तथा स्पेशल फीस की अग्रिम वसूली पृथक से सुसंगत नियमों के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

5. नियम 6 का संशोधन- **उक्त नियमावली में, नियम 6 में,- (i) नीचे स्तम्भ-एक में दिए गए उप-नियम (13) के स्थान पर, स्तम्भ-दो में दिया गया उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–**

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	**स्तम्भ-दो** एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(13) ग्लास/पेट बोतलों के चेस्ट पर आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय अनुसूची के अनुसार शब्द ष्उत्तर प्रदेश आबकारीष् उभरे हुए रूप में अंकित किये जायेंगे।	(13) **कॉच की बोतल पर** आबकारी आयुक्त, **उत्तर प्रदेश,** द्वारा अधिसूचित समय अनुसूची के अनुसार शब्द "उत्तर प्रदेश आबकारी" **उत्कीर्ण** किये जायेंगे। **(ii) नीचे स्तंभ-एक में दिए गए उप नियम(15) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–**

स्तम्भ-एक विद्यमान उप नियम	**स्तम्भ-दो** एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(15) **रियायती शुल्क की रम की भराई के लिए प्रयुक्त बोतलों पर शब्द केवल सेना के लिए और यदि इस रम का उत्तर प्रदेश से बाहर निर्यात किया जाना हो तो अक्षर "सी०एस०डी०" तथा यदि रम सेवा-कय संगठन को दिया जाना हो तो शब्द "ए०पी०ओ०" बालुकाच्छेपित (सैण्डब्लास्ट) या उभारे (एम्बास्ड) किये जायेंगे।**	(15) **रियायती शुल्क की रम की भराई के लिए प्रयुक्त बोतलों पर शब्द "केवल सेना के लिए" के साथ-साथ अक्षर "सी.एस.डी." जब इस रम का उत्तर प्रदेश से बाहर निर्यात किया जाना हो तथा जब रम सेना संगठन को क्रय के लिए दिया जाना हो तो शब्द "ए०पी०ओ०" बालुकाच्छेपित (सैण्डब्लास्ट) या उत्कीर्ण (एम्बास्ड) किये जायेंगे।**

6. नियम *7* का संशोधन- **उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दिए गए विद्यमान नियम-7 के उप-नियम (1) के स्थान पर, स्तम्भ-दो में दिया गया उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–**

स्तम्भ-एक विद्यमान उप नियम	**स्तम्भ-दो** एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(1) लाइसेंसधारी प्रपत्र पी०डी०बी० में एक अनुबन्ध पत्र **"बाण्ड"** आबकारी आयुक्त द्वारा निश्चित की गयी प्रतिभूति के साथ निष्पादित करेगा। प्रतिभूति या तो नकदी में या ब्याज वाहक प्रतिभूति, सरकारी प्रामिशरी नोट, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डाक घर बचत, बैंक पास बुक या डाकघर नकद प्रमाण पत्र में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया या राज्य सरकार द्वारा यथाविधि अनुमोदित किसी अन्य बैंक की नियतकालिक जमा की रसीदों के रूप में दी जायेगी। यदि किसी समय आबकारी आयुक्त किसी कारण से यह समझता हो कि प्रतिभूति की इस प्रकार निश्चित की गयी धनराशि अपर्याप्त या अत्यधिक है, तो वह उसे बढ़ा या घटा सकता है।	**(1)** लाइसेंसधारी प्रपत्र पी०डी०बी० में एक **बंध** पत्र आबकारी आयुक्त द्वारा **निर्धारित** की गयी प्रतिभूति के साथ निष्पादित करेगा। प्रतिभूति या तो नकदी में या ब्याज वाहक प्रतिभूति, सरकारी **वचन पत्र,** राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डाक घर बचत, बैंक पास बुक या डाकघर नकद प्रमाण पत्र में **अथवा ई-बैंक गारन्टी के रुप में** स्टेट बैंक आफ इण्डिया या राज्य सरकार द्वारा **सम्यक** अनुमोदित किसी अन्य बैंक की **सावधि** जमा **रसीद** के रूप में दी जायेगी। यदि किसी समय आबकारी आयुक्त किसी कारण से यह समझता हो कि प्रतिभूति की इस प्रकार **निर्धारित** की गयी धनराशि अपर्याप्त या अत्यधिक है, तो वह उसे बढ़ा या घटा सकता है।

आज्ञा से,
डा0 आदर्श सिंह,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 2764/X-License-57/FL-Bottling Rules/2025-26

Prayagraj, Dated : March 05, 2026

NOTIFICATION

In exercise of the powers under Section 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (UP Act no. 4 of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (UP Act no.1 of 1904), the Excise Commissioner with the previous sanction of the State Government hereby makes the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Bottling of Foreign Liquor Rules, 1969 as amended from time to time, namely:-

THE UTTAR PRADESH BOTTLING OF FOREIGN LIQUOR

(TWENTY SEVENTH AMENDMENT) RULES, 2026

1. Short title and commencement–(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Bottling of Foreign **Liquor (Twenty seventh Amendments) Rules, 2026**.

(2) **They shall be deemed to have come into force with effect from 01st April, 2025.**

2. Amendment of rule-2– In the Uttar Pradesh Bottling of Foreign Liquor Rules, 1969, hereinafter referred to as the "said rules", **for sub-clause (iv) of clause (a)of sub -rule(1)of rule 2 set out in column-1 below, the sub-clause as set out in column-II, shall be substituted, namely :–**

Column-I *(Existing sub-clause)*	**Column-II** *(Sub-clause Rule as hereby substituted)*
(iv) a company or unit holding PD-33 licence; to establish a potable distillery, having a minimum, investment of Rs. 52 crore and a minimum capacity of 40 KLPD, on giving an assurance and commitment by an affidavit and supported by Bank Guarantee of Rs. 25 Lakh that it shall install potable distillery within two year by depositing Rs. 25/- per Kiloliter of sanctioned capacity from the date of grant of FL-3 licence to bottle spirits. If the unit fails d to establish the potable distillery within the specified f period, the aforesaid Bank Guarantee shall be r forfeited in the favour of the State Government by d the Excise Commissioner and the bottling licence shall be held in suspended stage until the distillery is commissioned.	(iv) a company or unit holding PD-33 licence; to establish a potable distillery, having a minimum, investment of Rs. 52 crore and a minimum capacity of 40 KLPD, on giving an assurance and commitment by an affidavit and supported by Bank Guarantee of Rs. 25 Lakh that it shall install potable distillery within two year by depositing Rs. **35/-** per Kiloliter of sanctioned capacity from the date of grant of FL-3 licence to bottle spirits. If the unit fails to establish the potable distillery within the specified period, the aforesaid Bank Guarantee shall be forfeited in the favour of the State Government by the Excise Commissioner and the bottling licence shall be held in suspended stage until the distillery is commissioned.

3. **Amendment of rule 3**–In the said rules, for the existing **clause(ii)** of rule 3 set out in Column-I below, the **clause set out in** Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
(ii) The Excise Commissioner, UP, if he is satisfied on enquiry that the applicant is a fit person to hold the required licence and the premises in which such person proposes to carry on bottling are suitable, may, grant the licence. Every such licensee shall deposit Rs. one lacs as security in form FDR or TDR in name of the Excise commissioner, UP before issue of licence. The licensee shall be allowed to draw, as it falls due, the interest accruing on them.	(ii) The Excise Commissioner, UP, if he is satisfied on enquiry that the applicant is a fit person to hold the required licence and the premises in which such person proposes to carry on bottling are suitable, may, grant the licence. Every such licensee shall deposit Rs. one lacs as security in form FDR or TDR or **E-Bank Guarantee** in name of the Excise commissioner, UP before issue of licence. The licensee shall be allowed to draw, as it falls due, the interest accruing on them.

4. Amendment of rule- 4–In the said rules, for the existing rule 4 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
4- Application for the renewal of bottling licence shall be made in Form F.L.B-1 to the Excise Commissioner, Uttar Pradesh on or before February 28 of the year of expiry of the licence. Unless the fee or any part thereof is in arrear or there be any other sufficient reason a bottling licence in Form F.L.-3 or F.L.3A may be renewed by the Excise Commissioner for up to two years, but the licence shall be valid only till the period of validity of concerning PD-2 licence. Renewal fee shall be payable for the renewal of F.L.-3 licences as below.	4- Application for the renewal of bottling licence shall be made in Form F.L.B-1 to the Excise Commissioner, Uttar Pradesh on or before February 28 of the year of expiry of the licence. Unless the fee or any part thereof is in arrear or there be any other sufficient reason a bottling licence in Form F.L.-3 or F.L.3A may be renewed by the Excise Commissioner for up to two years, but the licence shall be valid only till the period of validity of concerning PD-2 licence/ **PD-33 licence.** Renewal fee shall be payable for the renewal of F.L.-3 licences as below**:-**

Column-I:

S. No	Presumptive annual bottling fee (in Rs.)	Determined annual renewal fee of F.L.3 licence (in Rs.)
1	upto 10000000	Rs. 2 lacs
2	from 10000000 up to 20000000	Rs. 4 lacs
3	from 20000000 upto 30000000	Rs. 6 lacs
4	from 30000000 upto 40000000	Rs. 8 lacs
5	Exceeding 40000000	Rs. 10 lacs

Column-II:

S. No	Presumptive annual bottling fee (in Rs.)	Determined annual renewal fee of F.L.3 licence (in Rs.)`
1	upto 10000000	Rs. 2 lacs
2	from 10000000 up to 20000000	Rs. 4 lacs
3	from 20000000 upto 30000000	Rs. 6 lacs
4	from 30000000 upto 40000000	Rs. 8 lacs
5	Exceeding 40000000	Rs. 10 lacs

Column-I

(Existing rule)

Renewal fee shall be payable for the renewal of F.L.-3A licences as below.

S.No	Presumptive annual bottling fee (in Rs.)	Determined annual renewal fee of F.L.-3A licence (in Rs.)
1	upto 10000000	Rs. 4 lacs
2	from 10000000 up to 20000000	Rs. 8 lacs
3	from 20000000 upto 30000000	Rs.12 lacs
4	from 30000000 upto 40000000	Rs. 16 lacs
5	Exceeding 40000000	Rs. 30 lacs

Provided that a franchisee fee of FL-3A license in case of foreign liquor is Rs. 4.00 per bulk liter and in case of beer Rs. 1.00 per liter will be payable. The presumptive annual bottling fee will be calculated on the basis of receipt of bottling fee upto the end of the month of January.

Column-II

(Rule as hereby substituted)

Renewal fee shall be payable for the renewal of F.L.-3A licences as below.

S.No	Presumptive annual bottling fee (in Rs.)	Determined annual renewal fee of F.L.-3A licence (in Rs.)
1	upto 10000000	Rs. 4 lacs
2	from 10000000 up to 20000000	Rs. 8 lacs
3	from 20000000 upto 30000000	Rs.12 lacs
4	from 30000000 upto 40000000	Rs. 16 lacs
5	Exceeding 40000000	Rs. 30 lacs

Provided that a franchise fee **shall be levied on foreign liquor or beer filled under FL-3A licences at the following rates:-**

S. No.	**Type of Liquor Bottled/ Canned**	**Type of Consumption**	**Franchise Fee Rate for FL-3A in 2024-25**	**Franchise Fee Rate for FL-3A in 2025-26**
1	**Beer**	**For consumption within the state**	**Rs. 1.00 per bulk litre**	**Rs. 0.80 per bulk Litre**
2	**Beer**	**For export outside the state**	**Rs. 1.00 per bulk litre**	**Rs. 0.50 per bulk litre**
3	**Foreign Liquor (Premium & High Category)**	**For consumption within the state**	**Rs 4.00 per bulk litre**	**Rs 4.00 per bulk litre**
4	**Foreign Liquor (Economy, Medium & Regular Category)**	**For consumption within the state**	**Rs 4.00 per bulk litre**	**Rs 3.00 per bulk litre**
5	**Foreign Liquor**	**For export outside the state**	**Rs 4.00 per bulk litre**	**Rs 2.00 per bulk litre**

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
This amount of renewal fee and franchisee fee shall not be adjusted against bottling fee. If at the end of year, the slab of renewal fee is enhanced due to actual receipt of bottling fee, renewal fee shall be payable for the concerning year according to enhanced slab and the difference amount shall have to be deposited in Government Treasury prior to the last date of month of April in the concerning financial year. In addition to the aforesaid, bottling fee and special fee shall be recovered separately in advance according to the provisions of relevant rules.	This amount of renewal fee and franchisee fee shall not be adjusted against bottling fee. If at the end of year, the slab of renewal fee is enhanced due to actual receipt of bottling fee, renewal fee shall be payable for the concerning year according to enhanced slab and the difference amount shall have to be deposited in Government Treasury prior to the last date of month of April in the concerning financial year. In addition to the aforesaid, bottling fee and special fee shall be recovered separately in advance according to the provisions of relevant rules.

5. Amendment of rule- 6–In the said rules, **in rule 6 - (i) for sub-rule (13) set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-**

Column-I *(Existing rule)*	**Column-II** *(Rule as hereby substituted)*
(13) The glass/PET bottle will be embossed with the words "Uttar Pradesh Excise" on the chest of the bottle as per time schedule notified by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.	(13) The **glass** bottle will be embossed with the words "Uttar Pradesh Excise" on the chest of the bottle as per time schedule notified by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh. **(ii) for sub-rule(15) set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-**

Column-I *(Existing sub-rule)*	**Column-II** *(Sub-rule as hereby substituted)*
(15) Bottles used for bottling of concessional rum shall also have sandblasted or embossed on them the words "for troops only" along with the letters "C.S.D." when the rum is meant for export outside Uttar Pradesh and the letter Ä.P.O." when meant for issue to the Army Purchase Organisation.	(15) Bottles used for bottling of concessional rum shall also have sandblasted or embossed on them the words "for troops only" along with the letters "C.S.D." when the rum is meant for export outside Uttar Pradesh and the letter "A.P.O." when meant for issue to the Army **Organisation for Purchase.**

6. Amendment of rule 7–**In the said rules, for the existing sub-rule(1) of rule 7 set out in Column-I below, the sub -rule as set out in Column-II shall be substituted, namely** :–

Column-I *(Existing sub-rule)*	**Column-II** *(Sub-rule as hereby substituted)*
(1) The licensee shall execute a bond in Form P.D.B. with such security as may be fixed by the Excise Commissioner. The security shall be furnished either in cash or in interest bearing securities, government promissory notes, national savings certificates, post office savings, bank pass book or post office cash certificates or in fixed deposit receipts of the State Bank of India or any other Bank duly approved by the State Government. The security is liable to be increased or decreased by the Excise Commissioner at any time, should he consider for any reason, that the amount so fixed is inadequate or excessive.	(1) The licensee shall execute a bond in Form P.D.B. with such security as may be fixed by the Excise Commissioner. The security shall be furnished either in cash or in interest bearing securities, government promissory notes, national savings certificates, post office savings, bank pass book or post office cash certificates or in fixed deposit receipts **or E-Bank Guarantee** of the State Bank of India or any other Bank duly approved by the State Government. The security is liable to be increased or decreased by the Excise Commissioner at any time, should he consider for any reason, that the amount so fixed is inadequate or excessive.

By order,
DR. ADARSH SINGH,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0–9 असाधारण गजट–11.03.2026–127 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।